[2024:आरजे-जेपी:43832]

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत रद्दीकरण आवेदन संख्या 32/2024

सियाराम सिंह पुत्र श्री नत्थी सिंह, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी हटेनी, थाना चिकसाना, जिला भरतपुर (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी.
2. राज कुमार उर्फ भूरा पुत्र लक्खीराम, निवासी ग्राम हटेनी, थाना चिकसाना, तहसील एवं जिला भरतपुर (राज.)।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं)के लिए : श्री एम.के. कौशिक
उत्तरदाता(ओं)के लिए : श्री अनुरोध चतुर्वेदी
श्री मानवेन्द्र सिंह, पी.पी

जस्टिस अनूप कुमार ढांड
आदेश

19/10/2024

समाचारयोग्य

1. धारा 439(2) सीआरपीसी के तहत तत्काल आवेदन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 3, भरतपुर द्वारा दिनांक 19.01.2024 के आदेश द्वारा आरोपी प्रतिवादी को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि इस एफआईआर के दर्ज होने से पहले, याचिकाकर्ता के भतीजे सुनील कुमार ने आरोपी-प्रतिवादी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें प्रतिवादी पर सुनील और उसके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करने और मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। वकील ने कहा कि इस एफआईआर के अनुसार, आरोपी-प्रतिवादी ने पीड़ित, यानी सुनील के पैरों पर कुछ चोटें पहुंचाई हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए, विद्वान ट्रायल जज को आरोपी-प्रतिवादी को जमानत नहीं देनी चाहिए थी। वकील ने कहा कि आरोपी-प्रतिवादी एक आदतन अपराधी है जिसके खिलाफ आठ आपराधिक मामले लंबित हैं। वकील ने कहा कि इन परिस्थितियों में, आरोपी-प्रतिवादी को दी गई जमानत रद्द कर दी जाए।

3. इसके विपरीत, अभियुक्त-प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और तर्क दिया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, प्रतिवादी को जमानत प्रदान की गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि केवल आपराधिक

मामलों का लंबित होना जमानत रद्द करने का आधार नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्त-प्रतिवादी को जमानत देने के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक ठोस और तर्कसंगत आदेश पारित किया है, इसलिए इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है।

4. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया तथा रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

5. आरोपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि विद्वान ट्रायल जज ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सीआरपीसी की धारा 439 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है और तदनुसार, आरोपी-प्रतिवादी को जमानत दे दी है। आरोपी-प्रतिवादी के खिलाफ पीड़िता के पैरों में चोट पहुंचाने का आरोप और यह कि आरोपी-प्रतिवादी एक आदतन अपराधी था, जिसके खिलाफ आठ आपराधिक मामले दर्ज थे, जमानत रद्द करने का आधार नहीं हो सकते। ये आधार आरोपी-प्रतिवादी को जमानत देते या खारिज करते समय ट्रायल कोर्ट के समक्ष उठाए और सुने जा सकते थे, लेकिन जमानत रद्द करने की कार्यवाही के तहत इस न्यायालय के समक्ष नहीं, क्योंकि जमानत आवेदन की अनुमति देने और जमानत आवेदन को रद्द करने के आधार पूरी तरह से अलग हैं।

6. आगे बढ़ने से पहले, जमानत देने के लिए प्रासंगिक मापदंडों और जमानत आदेशों को रद्द करने के लिए विचारों का उल्लेख करना उचित होगा।

जमानत देने के लिए प्रासंगिक मानदंड

7. किसी गंभीर आपराधिक मामले में जमानत दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को प्रासंगिक कारकों पर विचार करना चाहिए, जैसे कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की प्रकृति, जिस तरीके से अपराध किया गया है, अपराध की गंभीरता, अभियुक्त की भूमिका, अभियुक्त का आपराधिक इतिहास, गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने और अपराध को दोहराने की संभावना, यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो जमानत दिए जाने की स्थिति में अभियुक्त के अनुपलब्ध रहने की संभावना, कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने और न्यायालय से बचने की संभावना और अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की समग्र वांछनीयता।

8. यह भी सर्वविदित है कि एक बार ज़मानत मिल जाने के बाद उसे यंत्रवत् रद्द नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, ज़मानत का एक अतार्किक या विकृत आदेश हमेशा उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए खुला रहता है।

यदि अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं, भले ही उसने उसे दी गई ज़मानत का दुरुपयोग न किया हो, तो ऐसे आदेश को उसी न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है जिसने ज़मानत दी है। ज़मानत को उच्च न्यायालय द्वारा भी रद्द किया जा सकता है यदि यह पता चले कि निचली अदालतों ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी की है या अपराध की गंभीरता या आदेश के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार नहीं किया है। **पी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2022 (15) एससीआर 211** में रिपोर्ट किया गया, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया है, ने उन बातों को स्पष्ट किया है जिन पर न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 439(1) के तहत किसी अभियुक्त को ज़मानत देने के आदेश में हस्तक्षेप करते समय विचार करना चाहिए।

> "24. जैसा कि उपरोक्त निर्णयों से देखा जा सकता है, एक बार जमानत दिए जाने के बाद उसे रद्द करने के लिए न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या कोई अतिरिक्त परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं या जमानत दिए जाने के बाद अभियुक्त का आचरण यह दर्शाता है कि उसे मुकदमे के दौरान जमानत की रियायत का आनंद लेकर अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की अनुमति देना अब निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं है [डोलत राम बनाम हरियाणा राज्य, (1995)1 एससीसी 349। दूसरे शब्दों में कहें तो, सामान्य परिस्थितियों में यह न्यायालय निचली अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के आदेश में हस्तक्षेप करने से कतराएगा, लेकिन यदि ऐसा आदेश अवैध या विकृत या अप्रासंगिक सामग्री पर आधारित पाया जाता है, तो ऐसा आदेश अपीलीय अदालत द्वारा जांच और हस्तक्षेप के लिए अतिसंवेदनशील है।"

जमानत आदेशों को रद्द करने के लिए विचार

9. पीड़ित पक्ष द्वारा दायर आवेदन पर जमानत आदेश को रद्द करने के लिए अपीलीय न्यायालय के समक्ष जो विचारणीय बिंदु हैं उनमें अभियुक्त को राहत देने के बाद उत्पन्न हुई कोई भी परिस्थिति, जमानत पर रहने के दौरान अभियुक्त का आचरण, अभियुक्त की ओर से टालमटोल करने का कोई प्रयास जिसके परिणामस्वरूप मुकदमे में देरी हुई हो, जमानत पर रहने के दौरान गवाहों को दी गई धमकियों का कोई उदाहरण, अभियुक्त की ओर से किसी भी तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास शामिल हैं। हम यह जोड़ सकते हैं कि यह सूची केवल उदाहरण के लिए है और संपूर्ण नहीं है। हालांकि, न्यायालय को सतर्क रहना चाहिए कि जमानत देने के चरण में केवल प्रथम दृष्टया मामले की जांच की जानी चाहिए और मामले के गुण-दोष से संबंधित विस्तृत कारणों से, जो अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा कर सकते हैं, बचा जाना चाहिए। यह कहना पर्याप्त है कि जमानत आदेश में उन कारकों का खुलासा होना चाहिए जिन पर न्यायालय ने अभियुक्त को राहत देने के लिए विचार किया है।

10. **जगजीत सिंह बनाम आशीष मिश्रा 2022 (9) एससीसी 321** में रिपोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा है कि धारा 439 सीआरपीसी के तहत जमानत देने की शक्ति व्यापक है और उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय, जैसा भी मामला हो, जमानत के लिए आवेदन का फैसला करते समय काफी विवेकाधिकार प्रदान किया जाता है। लेकिन यह विवेकाधिकार अप्रतिबंधित नहीं है। पारित आदेश में कानून के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों का पालन करते हुए न्यायिक दिमाग के उचित आवेदन को प्रतिबिंबित करना चाहिए। सामान्य तौर पर, अदालतें उस आदेश में हस्तक्षेप करने में धीमी होती हैं जहां जमानत को नीचे की अदालतों द्वारा मंजूरी दे दी गई है। लेकिन अगर यह पाया जाता है कि ऐसा आदेश अवैध या विकृत है या पूरी तरह से अप्रासंगिक सामग्री पर आधारित है, तो अपीलीय न्यायालय जमानत को रद्द करने और रद्द करने की अपनी शक्ति के भीतर होगा।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **दौलत राम एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य के मामले में, जो 1995(1) एससीसी 349** में दर्ज है, यह माना है कि एक बार दी गई ज़मानत को बिना यह विचार किए यांत्रिक रूप से रद्द नहीं किया जाना चाहिए कि क्या किसी भी परिस्थिति ने उसे निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल बनाया है ताकि अभियुक्त मुकदमे के दौरान ज़मानत की रियायत का आनंद लेकर अपनी स्वतंत्रता बनाए रख सके। पैरा 4 में निम्नलिखित निर्णय दिया गया है:-

> 4. किसी गैर-जमानती मामले में प्रारंभिक चरण में ज़मानत की अस्वीकृति और इस प्रकार दी गई ज़मानत को रद्द करने पर विभिन्न आधारों पर विचार किया जाना चाहिए और उसमें देरी की जानी चाहिए। पहले से दी गई ज़मानत को रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए बहुत ही ठोस और प्रबल परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। सामान्यतः, ज़मानत रद्द करने के आधार, मोटे तौर पर (उदाहरणात्मक और संपूर्ण नहीं) ये हैं: न्याय प्रशासन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयास, न्याय प्रक्रिया से बचना या बचने का प्रयास, या किसी भी तरह से अभियुक्त को दी गई रियायत का दुरुपयोग। अभियुक्त के फरार होने की संभावना के बारे में अभिलेख में प्रस्तुत सामग्री के आधार पर न्यायालय की संतुष्टि, ज़मानत रद्द करने को उचित ठहराने वाला एक और कारण है। हालाँकि, एक बार ज़मानत दे दिए जाने के बाद उसे बिना इस बात पर विचार किए बिना यंत्रवत् रद्द नहीं किया जाना चाहिए कि क्या किसी भी परिस्थिति ने इसे निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं बना दिया है ताकि अभियुक्त मुकदमे के दौरान ज़मानत की रियायत का आनंद लेते हुए अपनी स्वतंत्रता बनाए रख सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने पहले से दी गई ज़मानत को रद्द करने का निर्णय लेते समय इन सिद्धांतों की अनदेखी की। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने पहली बार में गैर-जमानती मामले में जमानत खारिज करने और पहले से दी गई जमानत को रद्द करने के लिए प्रासंगिक कारकों के बीच अंतर को नजरअंदाज कर दिया गया।"

8. इसी प्रकार **नरेंद्र के. अमीन बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य के मामले में, (2008) 13 एससीसी 584** में रिपोर्ट किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार दी गई जमानत को यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जा सकता है।

9. इस मामले में, याचिकाकर्ता अभियुक्त-प्रतिवादी के विरुद्ध ज़मानत रद्द करने का कोई मामला बनाने में विफल रहा है। अभियुक्त-प्रतिवादी के विरुद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि उसने उसे दी गई ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया या न्यायालय को गलत तथ्यों से गुमराह किया।

10. इस न्यायालय को इस ज़मानत रद्दीकरण आवेदन में कोई गुण या तथ्य नहीं मिला। तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है।

(अनूप कुमार ढांड), जे

करण/1

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निशपादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Tarun Mehra
Advocate